

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

ज अदालत.....उपखण्ड अधिकारी वायतु.....मुकाम.....
जिला-वाडमेर

बनाम.....
लालाराम भैराराम पौरा
किस्म मुकदमा..... नं. 358/2022 सन् 2022
राज आवदन

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>6/9/22</p> <p>11/10/2022</p>	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>विठ्ठलराम सिन्हा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>11/10/22</u> को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी वायतु जिला-वाडमेर</p> <p>प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थी- जजों के नोटिस एवं के जरिये रजिस्ट्रर रडी मिजबाये जजे जिनकी रडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है इतनाजा दोगा पत्रा- वली दिनांक- 27/10/2022 को पेश हो।</p> <p>11</p> <p>सहायक कलेक्टर (SDO) वायतु जिला-वाडमेर</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय
क्रमांक : वाद / 2022 / 131
प्राथी

27/10/2022

प्राथी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये जिनको करीब दो माह हो चुके है लेकिन विप्रार्थीगण की ओर से बावजूद तागिल अनुपस्थित / न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई / अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्राथी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्राथी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्राथी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्राथी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्राथी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्राथी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बावत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्राथी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्राथी अधिवक्ता के निवेदन पर प्राथी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू. अ. निरीक्षक से प्राथी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, सर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1314

दिनांक : 27/10/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. लालाराम पुत्र मोमताराम,
जाति मेघवाल, निवासी रामदेव नगर,
पटवार मण्डल लापुन्दडा,
तहसील गिडा (बाड़मेर)

1. भैराराम पुत्र मोमताराम वगैरा 30,
जाति मेघवाल, निवासी रामदेव नगर,
पटवार मण्डल लापुन्दडा,
तहसील गिडा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 358 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - रामदेव नगर, पटवार मण्डल - लापुन्दडा, तहसील - गिडा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 316/225 रकबा 4.6458 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

क्रमांक : वाद / 2022 / 1315 -1319

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का लापुन्दडा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री लालाराम पुत्र मोमताराम,
4. विप्रार्थी श्री भैराराम पुत्र मोमताराम वगैरा 30,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(जगदीश सिंह अशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 27/10/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु